न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 09/2019

अनवान

विनोद पुत्र सन्तलाल उर्फ रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। – वादी

ब ना म

1 प्रहलाद पुत्र सन्तलाल उर्फ रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।

2 बिमला पुत्री सन्तलाल उर्फ रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।

3 सिलोचना पुत्री सन्तलाल उर्फ रामलाल ज़ाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।

4 विधा पुत्री सन्तलाल उर्फ रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।

5 कृष्णा पुत्री सन्तलाल उर्फ रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।

6 सोना पत्नी सन्तलाल उर्फ रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

8 बलराम उर्फ बालिया पुत्र चेतराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।

9 बीरू पुत्र चेतराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।

10 जगदीश पुत्र चेतराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। – प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : श्री [illegible] एडवोकेट : वादी

श्री सुरजीत [illegible] एड. प्रतिवादी

निर्णय [illegible] दिनांक [illegible]-3-2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:42:49 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] मोजा रामपुरा के खाता सं0 80/73 के खसरा सं0 170 की 7.4[illegible] हैक्टेयर खसरा सं0 173 की 0.847 हैक्टेयर खसरा सं0 175 की 0.303 हैक्टेयर कुल किता 3 की 8.637 हैक्टैयर बारानी खातेदारी मे वादी के पिता सन्तलाल उर्फ

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

विनोद बनाम प्रहलाद आदि

रामलाल वल्द चेतराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादी के पिता का देहान्त हो गया है तथा वादी के पिता के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि मे वादी के पिता के नाम से जो 1/4 हिस्सा था वह वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन मे मिला हुआ है। वादी के पिता को सन्तलाल एंव रामलाल दोनों ही नामों से जाना जाता था जिसके चलते उक्त वादभूमि वादी के पिता के नाम जब विरासतन दर्ज हुई थी तो उस समय वादभूमि मे वादी के पिता का नाम रामलाल दर्ज हो गया था जबकि वादी के पिता का सही नाम सन्तलाल ही था। वादी के पिता का अन्य सभी प्रकार के दस्तावेजात मे सही नाम सन्तलाल दर्ज चला आ रहा था। वादी के पिता के देहान्त होने पर वादी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी सन्तलाल के नाम से ही जारी किया गया था। इस प्रकार वादी के पिता के अन्य सभी प्रकार के दस्तावेजात व मृत्यु प्रमाण पत्र मे सन्तलाल नाम होने एंव वादभूमि के राजस्व रिकार्ड मे सन्तलाल की बजाय रामलाल दर्ज होने के चलते उक्त वादभूमि वादी के पिता से वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के नाम दर्ज नही हो पा रही है तथा वादभूमि आज भी वादी के पिता के नाम से ही दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है। इसलिये वादभूमि मे वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 व 8 ता 10 ने उपस्थित आकर वादी के दावा को स्वीकार करते हुये अपने इकबालदावे पेश किये है तथा प्रतिवादी सं0 7 स्टेट ने अपना जवाबदावा पेश किया है।

साक्ष्य वादी मे पी डब्लु – 1 विनोद के बयान करवाये गये एंव दस्तावेजी साक्ष्य मे वादभूमि की वर्तमान जमाबन्दी व वादी ने अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र एंव ग्राम पंचायत की तस्दीक, राशन कार्ड तथा अन्य दस्तावेजात को अपनी दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्शित करवाये है। साक्ष्य वादी समाप्त करने के उपरान्त बहस वकील वादी एंव प्रतिवादीगण सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:42:49 IST
Reason: SelfAttested

दोराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादभूमि मे वादी के पिता का नाम रामलाल दर्ज चला आ रहा है तथा वादी के पिता को रामलाल व सन्तलाल दोनों ही नामों से जाना जाता था जिसमे से सही नाम सन्तलाल है तथा अन्य सभी दस्तावेजात सन्तलाल नाम ही दर्ज चला आ रहा है तथा मृत्यु

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

प्रमाण पत्र भी सन्तलाल के नाम से बना हुआ है तथा इस बाबत ग्राम से तस्दीक भी पेश की हुई है। वादी के दावा का प्रतिवादी पक्ष के द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है एंव वाद वादी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है, इसलिये वाद वादी डिक्री किया जावे।

बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली मे पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे वादभूमि जो रामलाल के नाम से दर्ज है, तथा वादी एंव प्रतिवादी प्रहलाद व सोना तथा वादी के पिता सन्तलाल का राशन कार्ड पत्रावली मे पेश है जिसमे वादी एंव प्रतिवादी प्रहलाद व सोना का नाम दर्ज है तथा उसमे वादी के पिता का नाम सन्तलाल दर्ज है तथा जमाबन्दी मे नाम रामलाल दर्ज है एंव ग्राम पंचायत कुजी के सरपंच के द्वारा इस बाबत प्रमाण पत्र पेश कर वादी परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानने का कथन करते हुये रामलाल व सन्तलाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होने एंव उनमे से सही नाम सन्तलाल होने को प्रमाणित किया है। इस प्रकार वादी अपने दावा को साबित करने मे सफल रहा है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाकर यह घोषणा की जाती है कि रोही मोजा रामपुरा के खाता सं0 80/73 के खसरा सं0 170 की 7.487 हैक्टेयर खसरा सं0 173 की 0.847 हैक्टेयर खसरा सं0 175 की 0.303 हैक्टेयर कुल किता 3 की 8.637 हैक्टैयर बारानी खातेदारी मे रामलाल वल्द चेतराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि के वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। वादभूमि मे रामलाल वल्द चेतराम का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 03-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:42:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (सीकर खोरद)
(फास्ट ट्रैक) भादरा

आर ए एस

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ।
पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 09/2019

अनवान

विनोद पुत्र सन्तलाल उर्फ रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। — वादी

ब ना म

1 प्रहलाद पुत्र सन्तलाल उर्फ रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।
2 बिमला पुत्री सन्तलाल उर्फ रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।
3 सिलोचना पुत्री सन्तलाल उर्फ रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।
4 विधा पुत्री सन्तलाल उर्फ रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।
5 कृष्णा पुत्री सन्तलाल उर्फ रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।
6 सोना पत्नी सन्तलाल उर्फ रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
8 बलराम उर्फ बालिया पुत्र चेतराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।
9 बीरू पुत्र चेतराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा।
10 जगदीश पुत्र चेतराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एंव वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत बिजारणियां की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद [illegible] की किया जाता है तथा यह घोषणा की जाती है कि रोही [illegible] रामपुरा के खाता सं0 80/73 के खसरा सं0 170 की 7.487 हैक्टेयर खसरा सं0 173 की 0.847 हैक्टेयर खसरा सं0 175 की 0.303 हैक्टेयर कुल किता 3 की 8.637 हैक्टैयर बारानी खातेदारी रामलाल वल्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:42:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

विनोद बनाम प्रहलाद आदि

चेतराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा बारानी खातेदारी मे वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। वादभूमि मे रामलाल वल्द चेतराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि मे रामलाल वल्द चेतराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 1/4 हिस्सा भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनाक 03-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:42:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner